न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 01/2016

प्रार्थीगण		विप्रार्थीगण
मूलाराम पुत्र रामाराम जाति मेगवाल निवासी पुराना गांव बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर	बनाम	1. आत्माराम पुत्र पोकरराम जाति मेगवाल निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. अजबाराम पुत्र पोकरराम जाति मेगवाल निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 3. ग्राम पंचायत बायतु पनजी जरिये सरपंच

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 7/10 दिनांक 22.12.2004 जो ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी उपस्थित।
2.विप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित।

निर्णय दिनांक 09.06.2017

1- प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम जारी पट्टा संख्या 7/10 दिनांक 22.12.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2- संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के स्वामित्व की भूमि खेत खसरा नंबर 832 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नंबर 833 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन टांका एवं खसरा नंबर 834 रकबा 96 बीघा 08 बिस्वा मौजा पुराना गांव बायतु पनजी तहसील बायतु

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

में आई हुई है। खसरा नंबर 834 के जोड़ा–जोड़ पूर्वी दिशा में ग्रेवल सड़क (आम रास्ता) है एवं उससे आगे ग्राम पंचायत पुराना गांव बायतु पनजी की आबादी भूमि है। ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को 30 गुणा 45 वर्गफुट भूमि का काल्पनिक आस–पड़ौस दर्शाते हुए पट्टा संख्या 7/10 दिनांक 22.12.2004 जारी किया गया। उक्त जारी किये गये पट्टे के आधार पर विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 834 में जबरन कब्जा करने एवं निर्माण कार्य किया जाने लगा। ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा उक्त पट्टा संख्या 7/10 दिनांक 22.12.2004 फर्जी एवं कुटरचित तरीके से नियमों की पूर्णतया अनदेखी की जाकर विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को निजी लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3- हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत बायतु पनजी से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।

4- पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व केम्प कोर्ट बायतु में पेश हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित हुए।

5- प्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि ग्राम पंचायत बायतु पनजी को खातेदारी खेत में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। विप्रार्थी संख्या 03 ग्राम पंचायत बायतु पनजी ने राज.पंचायती राज नियमों की पूर्णतया अनदेखी करते हुए विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को पट्टा संख्या 7/10 दिनांक 22.12.2004 जारी किया गया, जो खारिज किये जाने योग्य है।

6- विप्रार्थी संख्या 01 व 02 का कथन हैं कि ग्राम पचांयत बायतु पनजी द्वारा राज. पंचायती राज अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुए पट्टा संख्या 7/10 दिनांक 22.12.2004 जारी किया गया है। जारी किया गया पट्टा खोतेदारी खेत का नहीं होकर, आबादी भूमि का है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश की गई उक्त निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाए।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

7- हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत बायतु पनजी के रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को यह पट्टा राज. पंचायत राज नियम 150 से 152 के अनुसरण में जारी किया गया है। उक्त पट्टा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत बायतु पनजी से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20.11.2004 को पेश किये जाने पर प्रारूप 22 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा जारी किया जाकर आपत्ति चाही गई। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आबादी भूमि स्थ्सल का निरीक्षण करने हेतु गठित कमेटी द्वारा दिनांक 5.12.2004 को निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा पट्टा जारी करने हेतु विधिवत मिसल कायम कर विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया एवं राशि रूपये 400/– जमा की गई। विवादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूमि की मौका स्थिति के संबंध में भू.अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें ख.नं. 834, 831, 958 का मिलान नहीं होना एवं विवादग्रस्त स्थान खसरा नंबर 834 में नहीं आने का उल्लेख है। प्रार्थी विवादग्रस्त पट्टा आबादी भूमि में नहीं होकर खातेदारी भूमि में होना साबित नहीं कर पाये। लिहाजा प्रार्थी की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

8- उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 7/10 दिनांक 22.12.2004 यथावत रखा जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 09.06.2017 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
(ए.डी.एम.)